

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 74/2019-20

कस का प्रकार TA Misc. Case No. 74/2019-20			आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ													
आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर															
17.7.19	आवेदक/आवेदिका मोरो देई, पति- स्व० जवाहर नायक, जाति- भुईयां (अ.जा.),ग्राम- गोविन्दपुर, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- गोविन्दपुर, थाना नं०-106, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 54, प्लॉट नं०- 2174, रकबा- 0.57 ए०, क्रेता सुशिल कुमार नायक, पिता- स्व० गंगाधर नायक, जाति- भुईयां (अ.जा.), ग्राम- गोविन्दपुर, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा एकड़ में</th></tr><tr><td>गोविन्दपुर</td><td>106</td><td>गोविन्दपुर</td><td>54</td><td>2174</td><td>0.57 ए०</td></tr></table> आवेदक को बैल खरिदने एवं मकान बनाने हेतु 86,000/- (छियासि हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकबा 0.57 ए० को कुल कीमत 86,000/- (छियासि हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी सोनुवा से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 2.8.19 तक मांग करें । अभिलेख दिनांक 3.8.19 को उपस्थापित करें ।			मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा एकड़ में	गोविन्दपुर	106	गोविन्दपुर	54	2174	0.57 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा एकड़ में											
गोविन्दपुर	106	गोविन्दपुर	54	2174	0.57 ए०											
			भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।													

Bem
17.7.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।